दूरभाष नं0 : 02974–222192

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय, मुख्य प्रबन्धक आबूरोड आगार

आबूरोड आगार की Ley व Tata निगम वाहनों के लिये स्पेयर पार्टस खरीदने हेतु स्थानीय बाजार से DRC की जानी है के लिए निविदा प्राप्त करने एवं जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.7.2020 को 14 बजे तक निर्धारित कि विस्तृत विवरण निगम की वेब साईड www.rsrtc.rajasthan.gov.in पर भेजी जा सकती है।

9-7-2020

मुख्य प्रबन्धक

रा0रा0प0प0 निगम

आबूरोड आगार

Scanned by CamScanner

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
ABU ROAD **DEPOT**

SERVE YOU BETTER

निविदा प्रपत्र (स्पेयर पार्ट्स एवं अदर स्टोर)

क्रमांक :– मु.प्र./आबु./लेखा/निविदा/

विज्ञापन संख्या :
दिनांक :

1. नियिदाकर्ता का पूरा नाम व व्यवसायिक पता :

2. निविदा का प्रयोजन :

3. धरोहर राशि : धरोहर राशि रु. ....
निगम कोष में रसीद संख्या ....
दिनांक : ....

4. मैं/हम/हमारी फर्म राजस्थान परिवहन निगम आबुरोड में सामग्री आपूर्ति / उपकरणों के मरम्मत कार्य करने के इच्छुक हैं एवं निर्धारित प्रपत्र में अपने दर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे है।

5. मैं/हम निविदा / अनुबंध नियम व शर्तो तथा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना करने को बाध्य है/स्वीकार है।

6. प्रमुख उत्पादकों की प्रचलित मुल्य सूचियाँ निविदा के साथ संलग्न है मुख्य सूचियां केवल भाग द्वितीय क्र.सं. 39 से 41 के लिए आवश्यक है।

7. निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक .... तक अपरान्ह 12.00 बजे तक ही विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे एवं पूर्ति की गयी निविदाएँ दिनांक .... को 15.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। जो उसी दिन 15.15 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएगी एवं विलम्ब से अथवा डाक से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।

8. निर्धारित धरोहर राशि तथा प्रस्तावित सामग्री के मेक / ब्राण्ड के लिए निर्माता की प्रचलित मुल्य सूचियों के अभाव में निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। केवल भाग द्वितीय क्र.सं. 39 से 41 के लिए आवश्यक है।

ध्यान में रखने योग्य आवश्यक मार्गदर्शन –

(अ) धरोहर राशि प्रत्येक निविदा के साथ जमा कराया जाना आवश्यक है, निर्धारित धरोहर राशि इस प्रकार है–

1. ओटो स्पेयर पार्टस और जनरल स्टोर एवं इण्डस्ट्रीयल गैस के लिए — रु. 2500/– प्रति निविदा
2. उपकरणों की मरम्मत के लिए — रु. 1500/– प्रति निविदा

(ब) पूर्व में जमा धरोहर राशि यदि कोई है, इस निविदा के लिए मान्य नहीं होगी। इस वर्ष की निविदा के लिए निर्धारित धरोहर राशि नकद/पे–आर्डर/बैंक ड्राफ्ट के जरिये जमा कराया जाना आवश्यक है।

(स) निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय फार्म की मोहर आवश्यक है।

उक्त शर्तें एवं नियम निविदाकर्ता को स्वीकार है।

दिनांक :

स्थान : आबुरोड़

हस्ताक्षर निविदाकर्ता
(नाम, पता एवं मोहर)

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आबूरोड आगार

विभागीय दर अनुबंध : आटो स्पेयर पार्ट्स, जनरल स्टोर, इण्डस्ट्रीयल गैस की आपूर्ति करने तथा यांत्रिक उपकरणों की मरम्मत कार्य करने तत्संबंधित नियम एवं शर्ते :

---

1. **अनुबंध अवधि** : सामान की आपूर्ति करने तथा मरम्मत कार्य करने के लिये निविदा/अनुबंध/स्वीकृति दर की अवधि उल्लेखित प्रभावी तिथि से 12 माह के लिये है। उक्त अवधि क्रेता पक्ष एवं आपूर्तिकर्ता की सहमति से बढाये जाने का प्रावधान हैं।
2. दर (अ) क्रय किये जाने वाला समस्त सामान अनुमोदित प्रमुख निर्माताओं को अधिकृत मूल्य सूचियों पर ही मान्य की जावेगी। (द्वितीय भाग क्र.सं. 39 से 41 तक)
   - (ब) आपूर्तिकर्ता अपने स्वयं के व्यय पर अनुमोदित स्वीकृत निर्माताओं की अधिकृत मूल्य सूचियां उपलब्ध करायेगा। (द्वितीय भाग क्र.सं. 39 से 41 तक)
   - (स) जहां दर प्रति इकाई अनुमोदित स्वीकृत की गई है, अनुबंध की अवधि तक मान्य रहेगी एवं स्वीकृत दरों में कोई संशोधन नहीं किया जावेगा।
   - (द) अनुमोदित/स्वीकृत निर्माता द्वारा अपने उत्पादन के बिक्री मूल्य सूचियों में संशोधन करने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर संशोधित मूल्य सूचियां सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करने पर ही मान्य होगी।
3. आपूर्ति (अ) आपूर्तिकर्ता तत्काल अपने उपलब्ध स्टॉक से क्रयकर्ता (निगम) के आपूर्ति आदेश के अनुरुप सामान की आपूर्ति करेगा।
   - (ब) मरम्मतकर्ता संस्थान द्वारा निगम के कार्यादेश के अनुरुप उपकरण की मरम्मत का कार्य तत्काल प्राथमिकता पर पूर्ण करना होगा। किसी भी मरम्मत कार्य के लिये अधिकतम दो दिवस का समय निर्धारित रहेगा।
   - (स) आपूर्तिकर्ता को तत्काल मांग के अनुरुप सामान की आपूर्ति नहीं करने पर अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
   - (द) आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने पर अथवा माल की आपूर्ति नहीं करने पर निगम अन्य स्त्रोत से माल क्रय करेगा एवं दर में भिन्नता के कारण, निगम को हुई आर्थिक हानि की क्षति पूर्ति स्वीकृत आपूर्तिकर्ता से की जावेगी।
   - (य) आपूर्ति किये गये सामान अथवा मरम्मत किये गये उपकरण का निगम भण्डार स्थल पर निरीक्षण किया जावेगा। क्रय किया गया सामान अथवा मरम्मत किये गये उपकरण निर्धारित गुणवत्ता मान्य मानक / ब्राण्ड / विवरण के अनुरुप पाये जाने पर ही अनुमोदन किया जा सकेगा।
   - (र) आपूर्ति किये गये सामान अथवा मरम्मत कार्य मान्य मानक के अनुरुप नहीं पाये जाने पर संचालन में होने वाली बाधा विलम्ब के लिये आपूर्तिकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति आपूर्तिकर्ता को करनी होगी।
   - (ल) सामग्री / उपकरणों का परिवहन – लोडिंग / अनलोडिंग निविदाकर्ता को अपने संस्थान के निगम वाहन पार्किंग स्थल पर करना होगा। इस पर होने वाला व्यय निविदाकर्ता को वहन करना होगा।
4. **धरोहर राशि** (अ) स्वीकृत निविदाकर्ता / आपूर्तिकर्ता को निगम कोष में निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी होगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
   - (ब) किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा विवाद होने पर जमा धरोहर राशि पूर्ण अथवा आंशिक जब्त की जा सकेगी।
   - (स) किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने पर एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपलब्ध करने पर अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के 45 दिन पश्यात् ही जमा धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
5. **कर एवं सरचार्ज** : बिक्री कर, बिक्री कर पर अधिभार, उत्पादनशुल्क अथवा परिवहन व्यय (हेण्डलिंग चार्ज) जहां प्रभावी है, निविदा में पूर्ण उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्यथा ऐसे कर, सरचार्ज उत्पादन शुल्क व अन्य कर जिसका निविदा में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है क्रयकर्ता उक्त भुगतान करने को बाध्य नहीं रहेगा।

क्रमशः 3

Scanned by CamScanner

6. बिल एवं वाऊचर : (अ) आपूर्ति किये गये माल के क्रेडिट मेमो / बिल / वाऊचर मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आबूरोड के नाम से आवश्यक प्रमाणिकरण सहित प्रस्तुत करने होंगे।

   (ब) विभागीय दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये माल के बिलों पर प्रमाणित किया जाये कि उपरोक्त सामान डी. आर. सी. के अन्तर्गत आपूर्ति किया जाकर अनुमोदित उत्पादक की मूल्य सूची के अनुसार दर ली गई है। प्रमाणिकरण किया जावे।

   (स) प्रस्तुत बिल में आपूर्ति किये गये माल का पूर्ण ब्यौरा मेक / ब्राण्ड / टाईप / मॉडल आदि अंकित किया जाना आवश्यक है।

7. भुगतान : माह की प्रथम दिनांक से माह के अंतिम दिन तक किये गये क्रय / मरम्मत कार्य के बिलों का भुगतान 45 दिन की अवधि में किया जा सकेगा। विलम्ब के लिये ब्याज देय नहीं होगा।

8. आमंत्रित निविदा, मान्य/वैद्य अवधि : निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदायें/प्रस्तावित दर – निविदा आमंत्रित करने को दिनांक से आगामी तीन माह तक स्वीकृत करने हित मान्य/वैद्य रहेगी।

9. वारंटी : निविदाकर्ता / अनुबन्धकर्ता / आपूर्ति कर्ता को, उसके द्वारा की गई, सामान की आपूर्ति / मरम्मत कार्य के लिये वारण्टी देनी होगी। जिसके लिये निर्धारित वारण्टी–पत्र पूर्ति कर हस्ताक्षर युक्त निविदा के साथ संलग्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10. अधोहस्ताक्षर कर्ता को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रुप से निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

11. सभी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र आबूरोड रहेगा।

आबूरोड
दिनांक :

(आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर)
नाम व पता
फर्म की मोहर

(क्रय कर्ता)
हस्ताक्षर
वास्ते रा.रा.प.प. निगम, आबूरोड

WARRANTY CLAUSE

The contractor / seller hereby declares that the goods / stores / articles sold to the buyer under this contractor shall be of the best quality (and workmanship) and shall be strictly in accordance with the specifications and particulars contained / mentioned in the clause .... hereof and the contractor / seller hereby guarantees that the said goods / stores / articles be discovered not to conform to the description and quality aforesaid or have deteriorated (and the decision of the Purchaser in that behalf will be final and conclusive) the purchaser will be entitled to reject the said goods / stores / articles or such portion thereof as may be discovered not to conform to the said description and quality. On such rejection the goods / articles / stores will be at the seller's risk and all the provisions herein contained relating to rejection of goods etc. shall apply. The contractor / seller shall, if so called upon to do, replace the goods etc., or such portion thereof as if rejected, by the Purchaser otherwise the contractor / seller shall pay to the Purchaser such damages as may arise by reason of the breach of the condition herein contained, Nothing herein contained shall prejudice any other right of the Purchaser in that behalf under this contract or otherwise.

आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर :
नाम व पता :
फर्म की मोहर :

Scanned by CamScanner